न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–38/2012/भीलवाड़ा

1. श्रीमति फतहकंवर बैवा गिरधारीसिंह
2. शिवसिंह पुत्र विजयसिंह
3. कुन्दनसिंह पुत्र विजयसिंह
4. शैतानसिंह पुत्र विजयसिंह(मृतक)जरिये वारिसानः–

4/1.–पप्पूसिंह पुत्र शैतानसिंह

4/2.–मंजुकंवर पुत्री शैतानसिंह

4/3.– हेमूकंवर बैवा शैतानसिंह

5. नाथूसिंह पुत्र विजयसिंह
6. रणजीतसिंह पुत्र रायसिंह
7. श्रीमति धापूकंवर बैवा रायसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बरडौद तहसील व जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती लाडकंवर बैवा डूंगरसिंह राजपूत
2. श्रीमति नन्दकंवर बैवा गजसिंह(मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1. अजेसिंह उर्फ अजयसिंह पुत्र गजसिंह

2/2. बलवन्तसिंह पुत्र गजसिंह

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 12.03.2012 जो कि अपील संख्या 130/2011 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–

1. अपीलांट अभि0– श्री एम0एल0गुर्जर
2. रेस्पोडेंट अभि0–श्री योगेन्द्रसिंह

निर्णय दिनांकः–15.06.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 181 ग्राम बरड़ौद तहसील भीलवाड़ा में विवादित भूमियां कुला किता 18 रकबा 17.18 बीघा स्थित है। सहमति बटवारे के द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक भू–अभिलेख/09/999 दिनांक 26.02.2009 की पालना में नामातंरण संख्या 1184 से पक्षकारों के [illegible] द्वारा किया गया। जिसमें फतेहकंवर बेवा गिरधारीसिंह को 4.06 बीघा भूमि, नन्दकंवर बेवा गजसिंह को 4.08 बीघा भूमि तथा शिवसिंह, शैतानसिंह, कुन्दनसिंह, माधोसिंह पिता विजयसिंह, रणजीतसिंह पिता रामसिंह धापूकंवर बेवा रामसिंह के हिस्से में 4.08 बीघा भूमि [illegible] लाडकंवर बेवा डूंगरसिंह राजपूत के हिस्से 4.07 बीघा भूमि तथा सामलाती खाते में 6 खसरा नम्बर और रकबा 0.09 बीघा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:36 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नामातंरण संख्या 1184 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा में अपील 130/2011 प्रस्तुत कर नामातंरण संख्या 1184 दिनांक 02.03.2009 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 12.03.2012 से जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा नामातंरण संख्या 1184 निर्णय दिनांक 02.03.2009 ग्राम बरडौद को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को नये सिरे से निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है–

1. विवादित नामातंरण न्यायालय आदेश के कम में खोला गया था। रेस्पोडेंट को सर्वप्रथम तहसीलदार द्वारा दिये गये विभाजन आदेश को निरस्त करवाना होगा। मगर जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा यह तथ्य देखे बिना नामातंरण निरस्त कर गलती की है।

2. पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष वाद विचाराधीन था। इस वजह से नामातंरण की समरी कार्यरी को रोका जाना चाहिए।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रेस्पोडेंट की अपील मियाद बाहर थी। जिसे मियाद अवधि में गलत रूप से माना गया। अंत में निवेदन किया कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 12.03.2012 निरस्त किया जाये तथा नामातंरण संख्या 1184 दिनांक 02.03.2009 यथावत रखा जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। न्यायालय कार्यवाही के दौरान रेस्पोडेंट एडवोकेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10ए सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 3 शैतानसिंह पुत्र विजयसिंह का देहांत हो चुका है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 नन्दकंवर बेवा गजसिंह का निधन हो चुका है। मृतको के कायम मुकाम हेतु अपीलांट को निर्देश दिये जाये। एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट के एडवोकेट द्वारा आदेश 22 नियम 3 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक अपीलांट संख्या 3 शैतानसिंह पुत्र विजय सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके निम्न वारिसान है– पप्पूसिंह पुत्र शैतानसिंह, मन्जूकंवर पुत्री शैलूकंवर बैवा शैतानसिंह सभी जाति राजपूत निवासी बरडौद तथा निवेदन किया कि उपरोक्त वारिसान को मृतक का राइट टू स्यू सरवाइव करता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट संख्या 3 शैतानसिह का नाम रिकोर्ड से हटाया जाकर उसके वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जायें। एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट एडवोकेट द्वारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 नन्दकंवर पत्नि गजसिंह का स्वर्गवास हो गया है। जिसके निम्न वारिसान है–अखैसिंह उर्फ अक्षयसिंह पुत्र गजसिंह, बलवन्त पुत्र गजसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम बरड़ौद तथा निवेदन किया कि उपरोक्त वारिसान को मृतक का राईट टू स्यू सरवाइव करता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 2 श्रीमति नन्दकंवर पत्नि गजसिंह का नाम रिकोर्ड से हटाया जाकर उसके वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जायें। दिनांक 20.03.2017 को पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये। दिनांक 10.05.2018 को संशोधित शीर्षक अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 11.04.2022 को अपीलांट अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट की ओर [illegible] फॉल्डर में दिनांक 25.05.2022 द्वारा लिखित बहस पेश की गई। दिनांक 29.09.2022 रेस्पोडेंट संख्या 2/1, 2/2 को न्यायालय संबंध में कई बार आवाजें दी गई। [illegible] नहीं हुआ तथा पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:28:36 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा मौखिक बहस की गई और वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया कि विवादित नामातंरण 1184 तहसीलदार न्यायालय के आदेश से दिनांक 02.03.2009 को खोला गया था। रेस्पोडेंट द्वारा गलत बटवारे बाबत 2011 में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उक्त अपील प्रकरण संख्या 130/2011 दिनांक 12.03.2012 को स्वीकार की गई। इसके विरूद्ध हम अपील में आये है। अपील अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर पेश की गई थी। अपील मेण्टेनेबल नहीं थी। जजमेंट के खिलाफ अपील लाई नही करती थी। उन्हें धारा 225 में अपील कलक्टर के यहां प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उन्हें नामातंरण की अपील न करके मूल आदेश की अपील करनी चाहिए थी। लिखित बहस में वकील रेस्पोडेंट द्वारा अंकित करवाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा बटवारे के राजस्व नियम के विपरीत जाकर हमारे पक्ष से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवा गलत तौर पर बंटवारा करवाया है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अपील सुनवाई के दौरान पक्षकारों के मध्य राजस्व वाद विचाराधीन होने की बात बतायी गई थी। नियमित वाद के चलते वर्तमान अपील गलत प्रस्तुत की है। देरी से प्रस्तुत की है तथा देरी के कोई कारण नहीं अंकित किये है। इस हेतु न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2009 पेज 391 व 209 का जिक्र किया तथा निवेदन किया कि अपील खारिज की जाये। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट के अभिभाषक द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 12.03.2012 की सूचना उन्हें नही दी गई थी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.06.2012 को बताने पर जानकारी हुई। दिनांक 27.06.2012 को भीलवाड़ा जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उसी दिन नकल प्राप्त की। उसके शीघ्र बाद अपील प्रस्तुत कर दी गई। देरी को क्षमा किया जाये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 09.07.2012 को प्रस्तुत किया जाना पायी जाती है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 130/2011 दिनांक 12.03.2012 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा नामातंरण संख्या 1184 दिनांक 02.03.2009 को निरस्त किया था। नामातंरण संख्या 1184 ग्राम बरडौद का अवलोकन किया गया। उक्त नामातंरण सहमति बटवारा होकर तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक भू–अभिलेख/09/999 दिनांक 26.02.2009 की पालना में दर्ज कर बाद जांच दिनांक 02.03.2009 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया था। जांच में गिरदावर हमीरगढ़ द्वारा दिनांक 27.02.2009 को यह अंकित किया है ''जांच की मुताबिक आदेश अंकन सही है। आदेश चस्पा है।'' अर्थात आदेश के मुताबिक ही नामातंरण दर्ज कर बाद जांच सही रूप से स्वीकृत किया गया है। यह बात भी सही है कि दोनो पक्षकारो के मध्य बटवारा में संतोष नहीं होने पर तख्तसिंह एवं अनय बनाम श्रवणसिंह एवं अन्य नाम से उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष धारा 53,54, 88 व 188 आरटीए के तहत प्रकरण प्रस्तुत होने बाबत सूचना है। वकील अपीलांट ने बहस में मुख्य रूप से यह बताया है कि विवादित नामातंरण जिस आदेश की वजह से खोला गया था। वह आदेश अभी भी एक्जीस्ट करता है। इस आदेश के रहते हुए जिला कलक्टर द्वारा नामातंरण संख्या 1184 को रद्द करने का कोई औचित्य नही है। वकील अपीलांट की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2005(2) पेज 724 के सिद्धांत के अनुसार मूल आदेश को चुनौती दिये बिना नामातंरण रद्द नहीं किये जा सकते है। यह सिद्धांत केसूराम बनाम यूआईटी उदयपुर जरिये सचिव यूआईटी में राजस्व मण्डल द्वारा दिया गया था। जिसमें यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:36 IST
Reason: SelfAttested

माना गया है कि नामातंरण का मूल आधार अवाप्ति का आदेश था। जिसे चुनौती दिये बिना इस आधार पर खोले गये नामातंरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति है। तहसीलदार द्वारा सहमति आधार पर बटवारा स्वीकृत किया गया था। वह तहसीलदार का आदेश अभी निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के पालना में खोले गये नामातंरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायालय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से पूरी तरह सहमत है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 130/2011 उनवानी तख्तसिंह एवं अन्य बनाम श्रवणसिंह एवं अन्य दिनांक 12.03.2012 को निरस्त किया जाता है। नामातंरण संख्या 1184 निर्णय दिनांक 02.03.2009 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:36 IST
Reason: SelfAttested